

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 12/3/2024

:: आदेश ::

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्री विज्ञान शाह (एडवोकेट एनरोलमेंट नम्बर— आर—2425/2004) को कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। इनकी नियुक्ति संबंधी सामान्य निबन्धन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार होंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त “दि राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल” की धारा 7 से 10 एवं राजकीय वादकरण नीति (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों की भी पालना करेंगे।

आज्ञा से




(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
13. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

  
12/3/24  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 12/3/2024

:: आदेश ::

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्री संदीप तनेजा (एडवोकेट एनरोलमेंट नम्बर- आर-653/1999) को कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। इनकी नियुक्ति संबंधी सामान्य निबन्धन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार होंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त "दि राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल" की धारा 7 से 10 एवं राजकीय वादकरण नीति (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों की भी पालना करेंगे।

आज्ञा से




(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
13. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व भण्डल, अजमेर।

18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

  
12/3/24  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि